भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1541
दिनांक 13.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन-हर घर जल

1541. श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
श्री संजय दिना पाटीलः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) महाराष्ट्र में अब तक जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के अंतर्गत लक्षित ग्रामीण घरों की कुल संख्या कितनी है तथा उक्त कार्य को पूरा करने में क्या सफलता प्राप्त हुई है;
(ख) महाराष्ट्र में उक्त जेजेएम परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की क्या भूमिका है;
(ग) क्या स्थानीय निकायों के लिए जलापूर्ति अवसंरचना के प्रबंधन हेतु कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) महाराष्ट्र में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है;
(ङ) क्या सरकार ने उक्त मिशन के अंतर्गत सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(च) क्या महाराष्ट्र में जेजेएम के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(छ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं कि आपूर्ति किया जाने वाला जल पेयजल के लिए निर्धारित बीआईएस मानकों के अनुरूप हो तथा

उक्त मिशन के अंतर्गत निर्मित जलापूर्ति अवसंरचना की गुणवत्ता तथा स्थिरता सुनिश्चित की जा सके; और

(ज) जन जीवन मिशन के अंतर्गत महाराष्ट्र में स्थापित जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या कितनी है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क) भारत सरकार अगस्त, 2019 से राज्यों की भागीदारी में देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील नल जल कनेक्शन अर्थात् 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर, निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस:10500) के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य पानी का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल को क्रियान्वित कर रही है।

जैसा कि महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, 15.08.2019 को राज्य में जेजेएम के शुभारंभ के समय, केवल 48.44 लाख ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, 81.16 लाख अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 10.02.2025 तक, राज्य के 146.81 लाख ग्रामीण परिवारों में से, 129.59 लाख (88.28%) से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है।

(ख) भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसरण में, ग्राम पंचायत अथवा इसकी उप-समिति/प्रयोक्ता समूह अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी), पानी समिति, आदि को गांव में जल आपूर्ति प्रणाली की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करना है। जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों का विवरण **अनुबंध** में है।

(ग) डीडीडब्ल्यूएस ने एमएसडीई के सहयोग से गांव में बहुकुशल व्यक्तियों, जिन्हें ग्राम पंचायत द्वारा जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए लगाया जा सकता है, की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नल जल मित्र कार्यक्रम (एनजेएमपी) विकसित किया है। एनजेएमपी के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र (आरडब्ल्यूएसएस) में संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के लिए बहु-कौशल लघु अवधि प्रशिक्षण (एसटीटी) में प्लंबिंग, पंप संचालन, एसोसिएटेड चिनाई और एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल शामिल हैं। इसके अलावा एनजेएमपी के तहत, आरपीएल (पूर्व शिक्षा को मान्यता)/अपस्किलिंग पाठ्यक्रम को जनवरी, 2024 में मंजूरी दी गई थी। इस पाठ्यक्रम के तहत, कुशल उम्मीदवारों को प्रारंभिक योग्यता मूल्यांकन (आईक्यूए) के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है और अर्ध-कुशल उम्मीदवारों को अंतिम मूल्यांकन और प्रमाणन के बाद अपस्किलिंग के लिए 120 घंटे प्रदान किए जाते हैं।

(घ) जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य को आबंटित निधियों के 5% तक का उपयोग सहायक कार्यकलापों के लिए किया जाना होता है जिसमें आईईसी, मानव संसाधन विकास, स्थानीय समुदायों की लामबंदी आदि शामिल हैं। जल राज्य का विषय है, भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सहित कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अत:, भारत सरकार के स्तर पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए निधि आबंटन संबंधी कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

(ङ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य मार्च, 2026 तक कार्य परिपूर्णता की योजना बना रहा है।

(च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए जल नमूनों का परीक्षण करने और पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रह, रिपोर्टिंग, अनुवीक्षण और निगरानी के लिए सक्षम बनाने के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित जल गुणवत्ता परीक्षण का महाराष्ट्र सहित राज्य-वार ब्यौरा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report

(छ) जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानक को बेंचमार्क के रूप में अपनाया गया है।

इसके अतिरिक्त, कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जल गुणवत्ता अनुवीक्षण एवं निगरानी (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) संबंधी गतिविधियों के लिए जेजेएम के अंतर्गत निधियों के अपने वार्षिक आबंटन के 2% तक का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपस्करों, उपकरणों, रसायनों, कांच के बने सामान, उपभोज्य वस्तुओं की खरीद, कुशल जनशक्ति को काम पर रखना, फील्ड परीक्षण किटों (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी करना, जागरूकता सृजन, जल गुणवत्ता संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता आदि भी शामिल है। मिशन ने सभी प्रयोगशालाओं के एनएबीएल प्रत्यायन/मान्यता पर ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि इससे परीक्षण डेटा, कार्य करने वाले कर्मियों और प्रयोगशालाओं द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्ट में विश्वास बढ़ेगा।

(ज) महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार महाराष्ट्र में 178 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं।

*****

अनुबंध

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात वीडब्ल्यूएससी/पानी समिति/उपयोगकर्ता समूह, आदि को निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करना है:

i.) प्रत्येक मौजूदा ग्रामीण परिवार और भविष्य में उभरने वाले किसी भी नए परिवार को एफएचटीसी प्रदान करना, और यह सुनिश्चित करना कि मुख्य बसावटों से दूर स्थित बिखरे हुए परिवारों को भी एफएचटीसी मिले;

ii.) जल आपूर्ति योजना के लिए ग्राम कार्य योजना (वीएपी) तैयार करने को सुनिश्चित करना;

iii.) गांव में जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, डिजाइन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव और मौसमी आपूर्ति घंटे तय करना;

iv.) केंद्रीकृत मद दर निविदा के माध्यम से एसडब्ल्यूएसएम द्वारा अंतिम रूप दी गई एजेंसियों/विक्रेताओं से निर्माण सेवाओं/वस्तुओं/सामग्रियों की खरीद;

(v) गांव में अवसंरचना पूंजीगत व्यय के 5% या 10% का अंशदान करने के लिए समुदाय की लामबंदी और प्रेरित करना, जैसा भी मामला हो। अंशदान नकद और/या वस्तु और/या श्रम के रूप में हो सकता है;

vi.) स्रोत स्थिरता, ग्रेवाटर पुन: उपयोग, जल संरक्षण उपायों आदि सहित ग्राम अवस्थित अवसंरचना के निर्माण का पर्यवेक्षण करना;

vii.) सामुदायिक अंशदान और ओ एंड एम सेवा प्रभार जमा करने के लिए बैंक खाता खोलना/जीपी के मौजूदा खाते का उपयोग करना। यदि किसी मौजूदा खाते का उपयोग किया जा रहा है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि योगदान और प्रोत्साहन के लिए एक अलग बही-खाता रखा जाए;

viii.) उन खातों के लिए रजिस्टर बनाना और बनाए रखना जो नकद और/या वस्तु और/या श्रम के रूप में सामुदायिक योगदान, निर्माण की लागत; ओ एंड एम लागत /जल टैरिफ संग्रह और प्राप्त प्रोत्साहन को प्रतिबिंबित करें;

ix.) पीआरए गतिविधियों के लिए समुदाय की लामबंदी;

x.) जल टैरिफ/प्रयोक्ता प्रभार तैयार करना और एकत्र करना;

xi.) स्थानीय जल स्रोतों सहित ग्राम अवस्थित जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन और नियमित ओ एंड एम के लिए जिम्मेदार होगा;

xii.) ग्राम पंचायत (जीपी)/ग्राम परिसंपत्ति रजिस्टर में पेयजल परिसंपत्ति विवरण अभिलिखित करना;

xiii.) योजना के पूरा होने पर परीक्षणों को सुविधाजनक बनाना;

xiv.) तीसरे पक्ष की कार्यक्षमता निरीक्षण और कार्यक्षमता मूल्यांकन की सुविधा;

xv) वर्ष में कम से कम चार बार आवधिक बैठकें आयोजित करना और उसका कार्यवृत्त/रिकार्ड रखना;

xvi.) फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके जल गुणवत्ता परीक्षण, प्रयोगशालाओं में आवधिक परीक्षण सुनिश्चित करना और समुदाय के बीच इसका प्रचार-प्रसार करना और स्वच्छता निरीक्षण करना। इन गतिविधियों को संपन्न करने के लिए ग्रामीण युवाओं/छात्रों/महिलाओं को शामिल करना/प्रशिक्षित करना;

xvii) संबंधित राज्य नीति के अनुसार एफटीके का उपयोग करके जल गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है;

xviii.) सामाजिक लेखा परीक्षा करना;

xix) जल के विवेकपूर्ण उपयोग के संबंध में जागरूकता अभियान चलाना, जल का दुरुपयोग न हो यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र तैयार करना और वाल पेंटिंग आदि सहित निर्धारित आईईसी अभियान सुनिश्चित करना।

xx.) पंप ऑपरेटर, सामान्य तकनीशियन को काम पर लें/व्यवस्थित करें, नियमित मरम्मत और रखरखाव कार्य में भाग लें, और सिस्टम को संचालित करें।